न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/06/2013	2013/00047	19.08.2013	10.06.2024

1. जत्ती मीणा पुत्र श्री मन्ना मीणा, जाति मीणा, निवासी पाटोल्या बास, टहला तहसील राजगढ, जिला अलवर (मृतक)।

1/1 श्रीमती भौती देवी बेवा जत्ती मीणा जाति मीणा

1/2 जयराम पुत्र जत्ती मीणा जाति मीणा

1/3 सुखराम पुत्र जत्ती मीणा जाति मीणा

1/4 हरकेश मीणा पुत्र जत्ती मीणा जाति मीणा, निवासी पाटोल्या बास, टहला तहसील राजगढ, जिला अलवर।

1/5 श्रीमती बेलबाई पुत्री स्व0 जत्ती मीणा धर्मपत्नी रामखिलाडी निवासी ग्राम रूपबास तहसील राजगढ जिला अलवर।

1/6 श्रीमती सीता बेवाह राजू पुत्रवधु स्व0 जत्ती मीणा जाति मीणा

1/7 रामकेश पुत्र राजू पोत्र स्व0 जत्ती मीणा जाति मीणा उम्र करीब 15 साल नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता सीता देवी

1/8 प्रकाश पुत्र राजू पौत्र स्व0 जत्ती मीणा जाति मीणा उम्र करीब 15 साल नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता सीता देवी, निवासी पाटोल्या बास, टहला तहसील राजगढ, जिला अलवर।

2. जयराम मीणा पुत्र पुत्र जत्ती मीणा, जाति मीणा, निवासी पाटोल्या बास, टहला तहसील राजगढ, जिला अलवर।

3. हरकेश मीणा पुत्र जत्ती मीणा जाति मीणा, निवासी पाटोल्या बास, टहला तहसील राजगढ, जिला अलवर।

4. श्रीमती सीता मीणा बेवाह श्री राजू मीणा, जाति मीणा, निवासी पाटोल्या बास, टहला तहसील राजगढ, जिला अलवर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती तुलसी पत्नी नत्थूराम कोली, कौम कोली निवासी टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।

2. भू आवंटन सलाहकार समिति, राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान जर्ये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

——अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ जैर नियम 14 (4) भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आज्ञा भू आवंटन समिति राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 जर्ये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 11.12.2004 जिसके द्वारा गैरसायला संख्या 01 को आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 नवीन खसरा नम्बर 281/2313 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 आवंटित किये जाने की आज्ञा बेजा खिलाफ कानून पारित की गई, मन्सूख किये जाने उपरोक्त आज्ञा व सायलान के हक में उपरोक्त वर्णित आराजी मुतनाजा का आवंअन/विनियमन किये जाने बाबत्।

उपस्थितः—

01. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता — वकील प्रार्थीगण
02. श्री मथुरा प्रसाद जांगिड — वकील अप्रार्थी 01
02. राजकीय अभिभाषक — वकील अप्रार्थी 02

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ जैर नियम 14 (4) भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आज्ञा भू आवंटन समिति राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 जर्ये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 11.12.2004 जिसके द्वारा गैरसायला संख्या 01 को आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 नवीन खसरा नम्बर 281/2313 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 को आवंटन किये जाने से व्यथित होकर पेश किया है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि ग्राम टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 में स्थित आराजी खसरा न0 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 जिसका नवीन खसरा न0 281/2313 रकबा 0.75 है0 का आवंटन दिनांक 11.12.2004 को गैरसायला 01 को किया गया है। उक्त आराजी पर सायला संख्या 01 का अर्सा करीब 33 साल से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथ्या सालया संख्या 01 सायला संख्या 02 व 03 का सगा पिता है तथा सायला संख्या 04 का ससुर है। जिन्होंने सायलान द्वारा चारों तरफ पक्का डण्डा बनाया हुआ है तथा मौके पर पत्थर पडे हुए हैं। सायलान अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं।

भू आवंटन कमेटी ने गैर सायला संख्या 01 को उपरोक्त आराजी का आवंटन करने से पूर्व उपरोक्त आराजी की बाबत सर्व साधारण की सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा न ही मौके पर जाकर आराजी की वस्तुस्थिति के बारे में कोई जानकारी की तथा मनमाने तरीके से आवंटन की बाबत आज्ञा पारित कर दी गई, जबकि मौके पर उपरोक्त आवंटित की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गई आराजी मुतनाजा खाली ही नहीं थी, जिससे आज्ञा दिनांक 11.12.2004 भू आवंटन कमेटी अपास्त किये जाने योग्य है। गैर सायल संख्या 01 को उपरोक्त आराजी पर न तो मौके पर दखल दिया गया है तथा नही उसका उपरोक्त आराजी के किसी भाग पर कब्जा है। सायलान को उपरोक्त आराजी से आज तक कभी भी बेदखल नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि गैर सायल संख्या 02 द्वारा गैर सायल संख्या 01 को जो आवंटन किया गया है, उसके आवंटन के नियमों की पालना नहीं की गई है।

भू आवंटन कमेटी ने कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 05 के प्रावधानों की पालना नहीं की है। जिसके अन्तर्गत तहसीलदार प्रत्येक 30 वर्ष सितम्बर तक अनाधिकृत सरकारी भूमियों सिंचित एवं असिंचित दोनों की सूची प्रपत्र 1 में तैयार करेगा और उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जो सूची पंचायत, पंचायत समिति एवं तहसील के कार्यालय में निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी। भू आवंटन कमेटी द्वारा उक्त भूमि के आवंटन के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उदघोषणा नहीं की। भू आवंटन कमेटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 7 (2) के प्रावधानों की पालना नहीं की है। जबकि उदघोषणा में दो सप्ताह की कालवधि या जनहित में जब भी किसी विशेष क्षेत्र के लिये जारी की जायेगी। जिस खसरा नम्बर को उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा किसी लोक समागम के स्थान पर भी उदघोषणा चिपकाने की तारीख से गणना की जावेगी। जिसकी पालना की तारीख से गणना की जावेगी। जिसकी पालना भी भू आवंटन कमेटी द्वारा नहीं की गई है।

तहसीलदार राजगढ जिला अलवर द्वारा पटवारी हल्का टहला से रिपोर्ट मांगी गई। जिस पर पटवारी हल्का टहला द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि उक्त भूमि खसरा न0 281/2313 रकबा 0.75 है0 पर मौके पर गैर सायला संख्या का कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर श्रीमती तुलसी पत्नी श्री नत्थूराम कोली का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। गैर सायला संख्या 01 द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। गैर सायला संख्या 01 का मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा है। मौके पर दीगर लोगों का कब्जा है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि गैर सायला संख्या 01 का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहो है तथा न ही गैर सायला संख्या 01 को उपरोक्त आराजी का कब्जा ही दिया गया।

गैरसायला को ग्राम टहला की साबिक खसरा न0 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 दिनांक 11.12.2004 में आवंटन हुई थी, वर्तमान में गैरखातेदार से रिकार्ड है। गैरसायला ने आवंटन से प्रथम तीन वर्षों से सम्पूर्ण रकबा पर काश्त नहीं की गई है यानि गैरसायला ने आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया है। तत्कालीन पटवारी हल्का, टहला द्वारा दिनांक 11.12.2004 को तस्दीक रिपोट के पैरा नम्बर 17 में आराजी को विाद रहित होना, गलत अंकित किया है जबकि विवादित आराजी पर सायलान का कब्जा मौके पर था व अब भी है सायलान द्वारा उपरोक्त आराजी के चारों तरफ बाड लगाई हुई है तथा पत्थर पटक रखे हैं। लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा गैर सायल संख्या 01 से मिल्लत कर गलत रिपोर्ट की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पटवारी हल्का द्वारा 11.12.2004 जो तस्दीक की गई उसके पैरा संख्या 14 में खसरा नम्बर व रकबा नहीं लिखा है कि कौनसे खसरा नम्बरान को आवंटन करने की सिफारिश की गई है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भू आवंटन सलाहकार समिति, राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान जर्ये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर राजस्थान की आज्ञा दिनांक 11.12.2004 जिसके द्वारा गैरसायला संख्या 01 को आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 नवीन खसरा नम्बर 281/2313 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 आवंटित किये जाने की आज्ञा बेजा खिलाफ कानून पारित की गई, मन्सूख किये जाने उपरोक्त आज्ञा व सायलान के हक में उपरोक्त वर्णित आराजी मुतनाजा का आवंअन/विनियमन किये जाने बाबत व सायलान के हक में उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 नवीन खसरा नम्बर 281/2313 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 की बाबत आवंटन/विनियमन आदेश पारित किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें व अन्य उचित आज्ञा जो न्यायहित में न्यायोचित व न्यायसंगत हो, बहक सायलान सादिर फरमानें की कृपा करें। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में साईटेशन RRD 1982 P 237, RRT 2021 P 212 , RRD 2005 P 021, RRC 2002 P 215, RRT 2003 P 34, RRD 2002 P 150 पेश किये हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि सायलान द्वारा अंकित करना गलत है कि भू आवंटन कमेटी ने मिन गैरसायला संख्या 01 को उपरोक्त आराजी का आवंटन करने से पूर्व उपरोक्त आराजी की बाबत् सर्व साधारण की सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया हो तथा न मौके पर जाकर आराजी की वस्तुस्थिति के बारे में कोई जानकारी की हो तथा मनमाने तरीके से आवंटन के बाबत आज्ञा पारित कर दी गई हो तथा मौके पर उपरोक्त आवंटित की गई आराजी मुतनाजा खाली नही हो जिससे आज्ञा दिनांक 11.12.004 भू आवंटन कमेटी अपास्त किये जाने योग्य हो बल्कि सही तथ्य इस प्रकार हैं कि भू आवंटन कमेटी न मिन गैरसायला संख्या 01 को उपरोक्त आराजी को आवंटन करने से पूर्व उपरोक्त आराजी की बाबत सर्व साधारण की सूचनार्थ नोटिस जारी किये हैं तथा मौके पर जाकर आराजी की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी की थी मौके पर उक्त भूमि खाली थी इसलिये आज्ञा दिनांक 11.12.2004 भू आवंटन कमेटी अपास्त किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 नवीन खसरा नम्बर 281/2313 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 कायम किया गया है। मौके पर खाली भूमि थी गैरसायला संख्या 01 जो अनुसूचित जाति की गरीब

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

महिला है जो खेतीहार मजदूर है को भू आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 11.12.2004 की अलोट की गई और मिन गैरसायला संख्या 01 को दिनांक 28.05.2005 को उपखण्ड अधिकारी राजगढ के आदेश क्रमांक 142–143 दिनांक 24.12.2004 की एवं नायब तहसीलदार राजगढ मु0 टहला के आदेश क्रमांक/राजस्व/05/299 दिनांक 29.06.2005 की पालना में श्री मुकेश पटवारी हल्का द्वारा व गिरदावर कानूगो श्री भगवान गुप्ता द्वारा बमौजूदगी हरिप्रसाद शर्मा पटवारी हल्का राजोर व अन्य ग्राम वासियों मौजूदगी में मौके पर जाकर भौतिक रूप से दखल दिया गया तथा मिन गैरसायला संख्या 01 द्वारा दखल प्राप्त किया तथा फर्द मौका भी दिनांक 28.07.2005 को मौके पर तैयार किया गया जिस पर मिनगैरसायला संख्या 01 ने मौके पर बाड लगा रखी है तथा वर्षा होने पर फसल बोती है। मिन गैरसायला संख्या 01 द्वारा फसल तिल्ली बोई गई थी सायलान का उक्त भूमि पर कोई कब्जा न कभी रहा है और न आज है उन्होंने उक्त भूमि का कभी नहीं किया है।

भू आवंटन कमेटी द्वारा भू आवंटन अधिनियम के नियम 5,7(2),8,10,11 की पूर्ण पालना की है। नियम 13 की भी पालना की गई है। जिसकी पालना में वक्त आवंटन भू आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण था इसलिये आज्ञा दिनांक 11.12.2004 भू आवंटन कमेंटी निरस्त-किए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायलान द्वारा अंकित किया गया है कि उक्त भूमि पडत तथा नाकाबिल काश्त है और जिस पर अरसा करीब 33 साल से सायल संख्या 01 का व उसके परिवार का कब्जा रहा हो और जिससे आज्ञा दिनांक 11.12.2004 भू आवंटन कमेटी अपास्त किये जाने योग्य हो बल्कि उक्त भूमि काबिल काश्त है जिस पर गैरसायला संख्या 01 काश्त करती है वर्षा होने पर मिन गैरसायला संख्या 01 फसल तिल्ली आदि बोती है। सायलान का उक्त आराजी पर कभी कब्जा न रहा है और न आज है। सायलान का यह अंकित करना गलत है कि मिन गैरसायला संख्या 01 खूंखार व लडाका किस्म की महिला है जिसने श्रीमती शीला पत्नी गोकुल कोली निवासी टहला से मिल कर नाजायज गिरोह बना रखा है और जो आये दिन सायलान को तंग व परेशान करती है बल्कि मिन गैरसायलान संख्या 01 गरीब (कोली) अनुसूचित जाति की महिला है जो खोती में मजदूरी करे अपने बच्चों का मुश्किल से पालन करती है जबकि सायलान लडाकू व खूंखार प्रकृति के हैं पैसे वालें हैं जिन्होंने नाजायज गिरोह बना रखा है जो पैसे के बल पर व लट्ठ के बल पर मिन गैरसायला संख्या 01 को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते हैं।

सायलान का यह कथन गलत है कि सायलान भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं। सायलान के पास 2.53 है0 भूमि ग्राम टहला में है इसलिये भू आवंटन कमेटी को सायलान का पुराना कब्जा मानते हुये न भूमि हीन की श्रेणी में होने के कारण विवादित आराजी को आवंटन सायलान के हक में आवंटन/नियमन करने का प्रश्न हीं पैदा नहीं होता है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.12.2004 को तस्दीक रिपोर्ट के पैरा न0 17 में आराजी विवादित होना सही दर्ज किया है विवादित आराजी पर सायलान का मौके पर कब्जा नहीं है न आज है न सायलान द्वारा आराजी के चारों तरफ बाड लगा रखी है व पत्थर भी मिन गैरसायला द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

डाले हुये हैं तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा मौके अनुसार सही रिपोर्ट की है आवंटन दिनांक 11.12.2004 निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 2.95 है0 में से 0.75 है0 नवीन खसरा नम्बर 281/2313 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 जो मिन गैरसायला को आवंटित हुई है के अतिरिक्त 1.45 है भूमि बची हुई है जिसमें सायलान ने अतिक्रमण कर रखा हो तो मिन गैरसायला को कोई इल्म नहीं है।

सायलान का यह अंकन कराना गलत है कि पटवारी हल्का ने जो दिनांक 11.12.2004 की रिपोर्ट में खसरा न0 व रकबा नहीं लिखा है। सायलान के लडका सुखराम व अन्य सायलान द्वारा पूर्व में भी आदेश दिनांक 11.12.2004 के विरूद्ध दिनांक 13.05.2006 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 23.07.2008 को अदम पैरवी में खारिज करवा लिया अब उसी आदेश दिनांक 11.12.2004 को अपास्त कराने के लिए जत्तीराम व अन्य सायलान ने यह प्रार्थना पत्र पुनः पेश किया है जो धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत रेसजूडिकेटा की तारीफ में आता है इसलिये मौजूदा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है निरस्त किये जाने योग्य है।

गैरसायल संख्या 01 एक गरीब खेतीहर मजदूर अनुसूचित जाति की महिला है जिन्हें पूर्व में 20.05.2003 को ख0न0 280–281 की भूमि बतला कर खसरा न0 127 वाके ग्राम टहला में 1–1 है0 भूमि अलोट की थी किन्तु जब मौके पर पटवारी हल्का व कानूगो दखल देने गये तो खसरा न0 127 की भूमि पहाड की भूमि थी जिस पर काश्त नहीं हो सकती थी इसलिये मिन गैरसायल 01 ने उस पर दखल नहीं लिया तथा खसरा न0 127 से लगती हुई खसरा न0 281 की भूमि मौके पर खाली थी इसलिये खसरा नं0 127 के बजाय खसरा न0 281 में से भूमि अलोट करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2004 को उप जिलाधीश महोदय राजगढ को प्रस्तुत किया था जिस पर नियमों व कानून के अन्तर्गत खसरा न0 281 रकबा 0.75 है0 भूमि तरफ उत्तर पूर्व में से पश्चिम का हिस्सा जो कि मौके पर खाली थी मिन गैरसायला को राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के तहत व लैण्ड रेवेन्यू अलोटमेंट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चर परपज रूल्स 1970 के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपना कर अलोटमेंट कमेटी द्वारा दिनांक 11.12.2004 को आवंटन/अलोट की गई जिसकी नियमानुसार फीस पट्टा जमा होने पर पट्टा भी मिन गैरसायला के नाम एस0डी0ओ0 साहब द्वारा जारी किया गया तथा नियमानुसार दखल भी पटवारी हल्का टहला द्वारा कानूगो व पटवारी हल्का राजोर व ग्राम के मौजूद व्यक्तियों के समक्ष दिनांक 28.07.2005 को उप जिलाधीश राजगढ व नायम तहसीलदार राजगए मु0 टहला के आदेश अनुसार दिया गया और मिन गैरसायला द्वारा उक्त भूमि की पैमाईश कर निशादेही व सीमाज्ञान कराने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजगढ को पेश करने पर मिन गैरसायला को उक्त भूमि की जरीब चला कर पैमाईश कर मौके पर निशादेही व सीमाज्ञान कानूगो टहला द्वारा दिनांक 22.05.2006 को ग्राम के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष कराया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

यह आराजी मुतनाजा के पास ग्राम पाटोला बास की आबादी है और ग्राम पाटोलाबास में सायल जत्तीराम मीणा रहता है जहां पर जत्तीराम की काफी तादाद पर काश्त की जमीन है जो शक्तिशाली, पैसे वाला साधन सम्पन्न व असरदार व मुंहजोर व्यक्ति है सायल 2 व 3 जत्तीराम के लडके है। जिन्होने अपना एक नाजायज गिरोह बना रखा है जिनकी नजर इस भूमि पर जब लगी तब गैरसायला के प्रार्थना पत्र पर उक्त भूमि की पैमाईश व निशादेही व सीमा ज्ञान कराने कानूगो टहला मौके पर गया तो उक्त जत्तीराम के लडके सुखराम व राजू जयराम हरकेश ने गैरसायला जो गरीब मजदूर अनुसूचित जाति की महिला है को उक्त भूमि से जबरन बेदखल अपना कब्जा करने और उसके काश्त नहीं करने देने की योजना वनाई और कहा कि तुझे इस भूमि पर काश्त नहीं करने देंगे इस पर मिनगैरसायल ने एक प्रार्थना पत्र बइमदाद पुलिस अपनी आराजी पर काश्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब राजगढ को दिनांक 03.06.2006 पेश किया जिस पर तहसीलदार साहब राजगढ ने 03.06.2006 को ही गैरसायला को बइमदाद पुलिस फसल बोने के आदेश दिये जिसकी पालना में साहब नायब तहसीलदार टहला ने एस0एच0ओ0 साहब टहला व पटवारी हल्का टहला को बइमदाद पुलिस गैरसायला को काश्त करवाने के लिए दिनांक 21.06.2006 को पाबंद किया किन्तु सायला ने एस0एच0ओ0 साहब टहला व पटवारी हल्का टहला को अपने असर में कर लिया। प्रार्थना पत्र पुलिस इमदाद देने की तारीख 05.07.2006 नियत की गई जिस तारीख को भी एस0एच0ओ0 साहब टहला व पटवारी हल्का टहला ने कोई कार्यवाही फसल बुआई की नहीं कराई।

सायलान के लडका सुखराम व अन्य सायलान द्वारा पूर्व में भी आदेश दिनांक 11.12.2004 के विरूद्ध दिनांक 13.05.2006 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 23.07.2008 को अदम पैरवी में खारिज करवा लिया अब उसी आदेश दिनांक 11.12.2004 को अपास्त कराने के लिए जत्तीराम व अन्य सायलान ने यह प्रार्थना पत्र पुनः पेश किया है जो धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत रेसजूडिकेटा की तारीफ में आता है इसलिये मौजूदा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है निरस्त किये जाने योग्य है। भूमि हडपने व तंग करने की नियत से वर्तमान प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। रिकॉर्डानुसार विधिवत आवंटन हुआ है। आवंटन होने के उपरांत दिनांक 28.07.2005 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 281 कुल रकबा 2.95 है0 में से आवंटी को आवंटित रकबा 0.75 है0 का सीमांकन कर विधिवत मौके पर कब्जा दिया गया। पत्रावली पर रिकॉर्ड शामिल है। आवंटन विधिवत पात्रता के अनुसार किया गया है। कब्जा देने के बाद मौके पर किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो वह 14(4) का आधार नहीं बनता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

विधिवत है। हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः समस्त तथ्य एवं परीक्षण करने के उपरांत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार टहला को हिदायत दी जाती है कि मौके पर जो भी परिवर्तन हुआ है उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिवत कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)